

## MERCY KILLING BILL

By Shri Mool Chand Daga

अध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा....  
डागा जी कहीं खो गये, लगता है।....डागा  
जी, बाहर जाने के लिए नहीं कहा, बोलने  
के लिए कहा है।

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI  
in the Chair]

15.36 hrs.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति  
जी। मैंने कहा था कि मरते हुए जीने से  
क्या लाभ ?

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) :  
मर-मरकर जीने से क्या लाभ ?

श्री मूलचन्द डागा : आप ठीक  
कहते हैं।

तड़पते हुए, सिसकते हुए लोगों को प्राधु-  
निक यंत्रों के द्वारा जिन्दा रखने की जरूरत  
है या नहीं ? लोग जिन्दा रहना चाहते हैं,  
लेकिन गौरव के साथ जीना चाहते हैं।  
जीना कोई सवाल नहीं है, लेकिन किस  
प्रकार जियें ? जो खेलते हुए, काम करते  
हुए, शरीर और मस्तिष्क का उपयोग करते  
हुए जीते हैं, उसे जिन्दगी कहते हैं। जब  
जिन्दगी में उत्साह और उमंग न रहे तो  
जिन्दगी नहीं रहती है।

मैंने जब यह बिल रखा तो बहुत सी बातें  
सदन के सामने रखीं। मैं यह नहीं चाहता  
था कि मेरा बिल पारित हो जाये, मैं  
चाहता था कि इसके लिए जनमत जानना  
चाहिए। यह बड़ा कंट्रोवर्शियल बिल है।  
जब यह बिल पेश हुआ तो उसके बाद मुझे  
अखबारों के कटिंग और कुछ चिट्ठियाँ मिली  
हैं। उनमें से मैं कुछ आपके सामने पेश

करना चाहता हूँ। जिस दिन मीटिंग हुई,  
उसके तीसरे दिन यह अखबार में निकला।  
यह मि० बी० के० बत्रा ने लिखा है—

Letter from Shri B. K. Batra—

“There are thousands of men and  
women who live in pain and anguish  
which is worse than death. For  
them that is the only saviour and  
society should help them by giving  
them the right to die with dignity  
and honour. There are lepers and  
nobody is to look after them, and  
they linger on in pain, when medici-  
nes or human sympathy can cure  
them. There are innumerable peo-  
ple who suffer from incurable infec-  
tious and contagious ailments and  
by contact they affect other healthy  
members. Central legislation should  
be passed granting people right to  
die with dignity.”

एक लैटर तो मुझे यह मिला है। दूसरा  
एक लैटर कलकत्ता का मुझे मिला है जिसमें  
उन्होंने लिखा है :

“Why then ordinary mortals like  
us taking recourse to scientific  
methods called sinners ? Young  
people may laugh at us and say  
some lunatics have taken the floor  
of Parliament if at any time giant  
intellectuals like you arrange to  
raise the question in Lok Sabha.  
I may be allowed to quote some  
verses from Gita.....”

जीने और मरने में कोई फर्क नहीं है।  
मरना वस्त्र बदलने के समान है।

He has quoted a Sanskrit quota-  
tion.

“BASHANSI JINNANI JATHA  
BIHAYA TATHA ANITYANI  
SARIRANI.....”

Should they be taken as sinners ?

Then, again in another letter it says :

"Please accept my good wishes for your Bill which enable the thousands of people who are suffering diseases may end their life in a painless and instantaneous death."

This is from Calcutta.

Again I quote one letter. There are so many letters but I will not quote all.

"Legal definition of death is based on breathing and heart, beat, but comatose or paralised existence is meaningless. And it is not possible for the patient in that state to apply for, though Mercy killing will mitigate their tragedy. The decision may be taken by the relatives mainly on the basis of how the patient's suffering effect them. Probably, this may be included by framing Rules.

"Since placing of the Bill, by you, this subject has become a topic of current affairs, and many papers have published articles on this."

मैंने अपने बिल में यह लिखा है कि सम्बन्धित व्यक्ति की व्यूज ले ली जाये और उसके रिजल्ट से भी पूछा जाए ।

There is a new article which has been published in a newspaper. I quote :

"Mere dignity of life, the Greeks thought, was meaningless without the dignity of death."

अगर कोई आदमी तड़प रहा है, पड़ा-पड़ा सड़ रहा है और उसके रोग का कोई इलाज नहीं है तो उन्होंने कहा है कि वह कोई लाइफ नहीं है ।

"When Dr. Bernard's mother suffered a stroke at the age of 98

and became unconscious and developed pneumonia, he instructed the doctor attending on her not to give her antibiotics or to tubefeed her. He had heard her mumbling. "I wish God would come and take me away."

एक 94 साल की मां थी जोकि तड़पती थी और उसको ऐसी बीमारी थी जिससे वह परेशान थी। वह कहती थी मुझे क्यों दवाई देते हो ? हे भगवान मुझे उठा ले ।

"The motto of these societies is to give dignity to death, to give the option to the terminally ill to decide about their end. In Britain, where suicide was made legal in 1961."

In Britain as also Scotland, suicide has become a legal one.

Now, there are certain views supporting Euthanasia. Dr. Leslie Weatherland, the world famous doctor, says :

"I sincerely believe that those who come after us will wonder why on earth we kept a human being alive against his own will, when all the dignity, beauty and meaning of life had vanished."

वह कहते हैं कि दुनिया में आने वाले सोचेंगे कि इन्होंने - ऐसे आदमी को क्यों रखा जो तड़प रहा था....

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :  
कौन है ?

SHRI MOOL CHAND DAGA :  
This is written by Dr. Leslie Weatherland. He has written a long article on it.

जैसे हमारे पासवान जी हैं, हंसते रहें तो ठीक है, लेकिन जब बूढ़े हो जायेंगे, शरीर वहीं चलेगा, आंखों में घासू घायेंगे....

श्री राम विलास पासवान : तो मार दोगे ।

श्री मूलचन्द डागा : मारो मत, पहले पूछो । एक जज को बुलाओ वह उन से बात करेगा कि उन के व्यूज क्या हैं । एक बात और—जब मैंने इस बिल को रखा था तो मैंने जिस लफ्ज को रखा था अब उस को अमेण्ड कर दिया । मैंने सोचा कि लोग "मर्सी-किलिंग" का अर्थ गलत ले रहे हैं, उस को गलत तरीके से सोच रहे हैं तो मैंने उस में अमेण्डमेन्ट दे दी है । किलिंग की जगह मैंने दे दिया है, "मर्सीफुल डैथ" ।

एक माननीय सदस्य : आप ने "किलिंग" को ही बदल दिया है ।

श्री मूलचन्द डागा : वास्तव में लोग उस के उद्देश्य को समझते नहीं हैं, इस लिये मैंने उस को थोड़ा बदलने का सोचा...

MR. CHAIRMAN : You have taken enough time. Please conclude now.

SHRI MOOL CHAND DAGA : There is enough time available now. I will take 10 minutes more.

MR. CHAIRMAN : So many members are interested in your bill.

श्री राम विलास पासवान : आप का बिल तो बहुत दिनों तक चलेगा ।

SHRI MOOL CHAND DAGA : I have given two amendments, namely, for "Mercy Killing Act, 1980", substitute "Merciful Death Act, 1982", and for "taking away the life of", substitute "putting to sleep".

The purpose of my Bill was :

"to provide for mercy killing of the persons who have become completely invalid and bed-ridden on suffering from an incurable disease."

यही मेरे बिल का उद्देश्य था । इस का यह मतलब नहीं है कि जो क्योर हो सकता है उस को ही मार दो ।

Then, I have given the definitions. Clause 3 reads :

"A person shall have the option to file an application for mercy killing with the Civil Surgeon of the District Hospital concerned, if he falls under any of the following categories of persons, namely :—

(i) persons who are completely invalid and are bed-ridden due to accident, disease or by birth and have been so declared by a competent medical authority;

मैंने बतलाया था कि आदमी था जिस की आयु 84 वर्ष की थी, वह बोल नहीं सकता था, कहता था कि मुझे उठा दो, लेकिन लोगों ने नहीं माना । उस ने मोरारजी भाई को लिखा, सब जगह एप्लाइ किया ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । जैन ग्रन्थों में यह लिखा है

श्री मूलचन्द डागा : इस को आप छोड़िये । लोग इस कानून का मंशा समझें । कई अच्छे साधु तबियत खराब होने पर खाना-पीना छोड़ देते थे ।

MR. CHAIRMAN : Please conclude within two minutes. Other Members are there. Hon. Minister has to reply.

श्री मूलचन्द डागा : मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ । इस में यह लिखा हुआ है ।

This is said by the District Court Judge.

"When a case is considered by the Board of Directors,"

जब केस बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा, तो अगर दो-तिहाई बोर्ड के मेम्बर यह कह दें कि यह वास्तव में इनक्यूरेबिल है,

“His application will be before a District Judge and his views should be ascertained.”

एस्सरटेन करने के बाद अगर वे ठीक समझते हैं, तब उसको इजाजत दी जाएगी।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि स्काटलैण्ड के अन्दर और ब्रिटेन के अन्दर इस को लीगलाइज किया गया है और अमेरिका में 10 स्टेट्स ने इस को लीगलाइज किया है। इस लिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत जरूरी है। पहले हमारा एक हथियार भूख-हड़ताल होता था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर अंग्रेज कोई हमारी सही बात को नहीं मानते हैं तो भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। भूख हड़ताल के बाद हमको जबर्दस्ती फीड किया जाता था।

Taken to hospital

तो कानून को तोड़ने के लिए जब कभी भूख हड़ताल की जाती थी, तो ऐसा ही होता था। कभी-कभी यह भी कहा जाता था कि अगर कानून को नहीं तोड़ा जाएगा, तो मैं प्राण दे दूंगा। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार जो लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उसके बारे में यह कहा गया है :

“According to law, a patient should have a right to refuse medical or surgical treatment but if he is in a coma or otherwise unable to express himself, then there can be a dispute, not otherwise.”

तो मैं यह चाहता हूँ कि यह एक ऐसा सब-जंक्ट है, जिसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए और यह जाना जाए

कि लोगों के व्यूज इस बारे में क्या हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस बिल को पास किया जाए लेकिन लोगों के दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो इस प्रकार सफर कर रहे हैं।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: There are some amendments to the motion for consideration.

SHRI UTTAM RATHOD: I beg to move :

“That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by 1 December, 1982.” (2)

SHRI ZAINUL BASHER (Ghazi-pur): I beg to move :

“That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by 1 January, 1983.” (3)

SHRI AJOY BISWAS (Tripura West): Actually this Bill has no relevance to the social and political conditions of the country.

Thousands and thousands of people are not getting the minimum treatment. So, what is the need to introduce such a Bill? This Bill may be misused by relatives and other people. It has been our experience that, after the doctor in India has said — I can refer to some cases also — that a particular disease is not curable, we have sent the people abroad and we have found that those people, after going abroad and after getting proper treatment there, have been cured. The main thing is that we should be able to provide at least the minimum medical facilities necessary to the people. In our country more than 50 per cent of the people are living below the poverty line and we are not able to provide even doctors to many hospitals in our country.

[Shri Ajoy Biswas]

Then how can we assess that a particular disease is incurable? He is not getting the treatment, he is not getting the minimum medical facilities. In fact, we can say that in the case of many people in the rural and urban areas, because of not getting the proper treatment, their disease has become incurable. So, I think, this Bill has no relevance in our country; may be, it can be introduced in Britain because Britain is a developed country.

Another point I want to make is this. We have to see that the economic condition of the people is improved. Without improving the economic condition of the people, with providing the basic needs of the people, it will be wrong to take this type of step in our country.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): श्री डागा के इस विधेयक का मैं घोर विरोध करता हूँ। हमारे सार्वजनिक जीवन में परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनमें इतना प्रेम होता है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई कितना भी बीमार हो, माता, पिता या भाई बीमार हो, किसी को भी जो मैडिकल वे बताया गया उससे मरवा दें। हमारी इस प्रकार की सभ्यता नहीं है। जैन ग्रन्थों, वैदिक ग्रन्थों किसी में भी इस चीज को मान्यता नहीं दी गई है। वास्तव में यह एक आत्म हत्या है, सुएसाइड इसका नाम है। डिवैलेपिंग कंट्रीज ने इस प्रकार का कानून बना दिया है तो उनका दृष्टिकोण और हो सकता है, वहाँ परिवार में इतना प्रेम नहीं होता है जितना हमारे यहां होता है। वे बना सकते हैं, हम नहीं। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि असाध्य समझे जाने वाले रोगों का भी इलाज आज मौजूद है। सभी रोगों का इलाज आज हो सकता है। कभी कैंसर, तपेदिक रोग असाध्य समझे जाते थे लेकिन आज नहीं।

16 hrs.

श्री मूल चन्द्र डागा : यह सवाल नहीं है कि इलाज नहीं होगा। वह होने दीजिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैडिकल बोर्ड की बात इसमें कही गई है। डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बिठा देंगे तो वहाँ इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वे राय नहीं दे सकते हैं, उनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट्स डिविजनल लेवल पर हैं और उनसे भी बड़े एक्सपर्ट स्टेट लेवल पर हैं और उनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट ग्राल इण्डिया फेम के हैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इलाज नहीं हो सकता है तो डिविजनल लेवल पर हो सकता है और वहाँ नहीं हो सकता तो प्राविशल लेवल पर हो सकता है और फिर नैशनल लेवल पर हो सकता है और नैशनल लेवल पर भी नहीं हो सकता है तो इन्टरनैशनल लेवल पर हो सकता है।

मैं चाहता हूँ कि डागा जी चिन्तन करें। उनकी स्थिति अगर कहीं इस प्रकार की हो तो कभी भी उनका सुपुत्र आज्ञा प्रदान नहीं करेगा, पत्नी नहीं करेगी, परिवार के सदस्य नहीं करेंगे। खुद बीमार होंगे, कराहते हों तो सही तौर से कंसेंट भी नहीं हो सकती है, खुशी से नहीं हो सकती है। जो कामा में होता है, कराह रहा होता है उसकी फिलफुल कंसेंट नहीं होती है, सेशन जज ब्यान भी लेगा तो वह ब्यान भी सही तरीके से दिया गया है, यह नहीं—कहा जा सकता है। इस चीज को कभी भी हमारा समाज पसन्द नहीं कर सकता है, देश पसन्द नहीं कर सकता है। अगर गवर्नमेंट भी विल प्रस्तुत करके पब्लिक ओपिनियन के लिए उसको भेजेगी तो लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट मानव जाति के खिलाफ है, मनुष्य जाति के खिलाफ है, बिल्कुल वॉर है, इसमें मर्सी की भावना ही नहीं है, यह ब्रूट है। इसलिए मैं इस कानून का विरोध करता हूँ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : डागा जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है यह विचारणीय है, इस पर जितना विचार किया जाए कम है। वृद्धि चन्द्र जैन जी ने ठीक कहा है कि हमारी सभ्यता ऐसी नहीं है कि जहां पर लोगों को मरने की इजाजत दी जाए। हम तो लोगों को जिन्दा रखना चाहते हैं और वह भी इस तरह से कि किसी को कोई रोग न हो, खराबी न हो, गड़बड़ी न हो और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। उसी के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हेल्थ मिनिस्टर और खास तौर से प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि दो हजार के साल तक हम सभी के स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था कर देंगे। जिनको इन-क्योरेबिल डिजीजिज कहा जाता है खास तौर से उनके सम्बन्ध में विशेष तौर पर प्रयत्न करने की जरूरत है। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर को उधर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए जो इनक्योरेबिल डिजीजिज हैं जैसे टी० बी०, कैंसर, पैरेलिसिस, मंडनेस आदि, इन बीमारियों की वजह से जो लोग परिवार के लिए एक बड़न स्वरूप हो जाते हैं, उनका उचित तरीके से इलाज हो, सके। इस तरह का प्रयत्न सरकार को करना चाहिये, और हम कर भी रहे हैं। इस काम में और तेजी आनी चाहिए, और उचित व्यवस्था करनी चाहिए। खासतौर से गांवों के विकास के सम्बन्ध में कहना है कि वहां अभी तक जिस प्रकार की प्रगति और जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने कहा कि जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनको ऐसी बीमारियों होने के बाद क्या हम महंगी दवायें दे सकते हैं? खुद तो वह बेचारे पैसा खर्च नहीं कर सकते और अभी गांव लेबिल तक इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो

ऐसी इनक्योरेबिल बीमारियों के इलाज की उचित व्यवस्था हम कर सकें तो ठीक होगा। वरना जैसा डागा जी कहते हैं कि 5, 7 साल खाट पर पड़ा रहे तो सारे परिवार के लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यह आदमी जल्दी उठ जाय। तो इन दोनों व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था होनी चाहिये। हमारी संस्कृति यह कहती है कि हम उसकी सेवा करके उसे ठीक करने का प्रयास करें। और अगर ऐसा नहीं हो सकता हो, सरकार के पास साधन न हों ठीक से व्यवस्था कर पाने के तो वैसी हालत में डागा जी के प्रस्ताव को मजबूर हो कर मानना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आपको सोचना चाहिए कि हम डागा जी के सुझाव को मानें या ऐसी व्यवस्था करें जिससे ऐसा मौका ही न मिले ?

दूसरे जो इन्होंने अपने बिल में प्रावधान किया है मैडिकल बोर्ड का या जज से स्वीकृति लेने का, यह तो तब पैदा होता है जब सरकार कह दे कि हम इन बीमारियों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, और वह आदमी उन बीमारियों से तड़प-तड़प कर मरे ऐसी स्थिति में अगर समाज और सरकार घोषणा कर दे तब यह प्रश्न पैदा होता है कि इसके सम्बन्ध में कोई न कोई कदम उठाया जाय या ऐसा कानून स्वीकार किया जाय जिसके अधीन उसको मरने का अधिकार दिया जाय, तब यह प्रश्न पैदा होता है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा आज भी गांवों के अन्दर बहुत सी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश योजनाबद्ध तरीके से आप कर रहे हैं। मगर आज भी वह दूर नहीं हो पायी हैं। जितनी भी मैडिकल फैसिलिटीज गांवों में दी हैं उनसे क्या

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

लोगों का ठीक से उपचार हो सकता है? आपने एक लाख की आबादी पर एक पी० एच०सी० दिया है। जो उसका बजट है उसमें वह लोगों की व्यवस्था कर सकता है? हरगिज नहीं। गांवों में ज्यादातर गरीब रहते हैं जो दवायें नहीं खरीद सकते। इसलिए उनके लिए अगर विशेष व्यवस्था नहीं की जायगी तो त्रिश्चित तरीके से गांव का गरीब आदमी खासतौर से शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों पर बहुत बड़ी आपत्ति आ जायगी। हमारे यहां राजस्थान में हर दूसरे साल अकाल पड़ता है और उसके दौरान खराब प्राणी पीने को मिलता है। उससे ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे आदमी एक दो घंटे में मर जाता है। गांवों में होने वाली ऐसी बीमारियों का व्यवस्थित इलाज और उचित मैडिसिन्ज हम उपलब्ध नहीं करा पाते। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस बारे में माकूल और मजबूत व्यवस्था करनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि श्री डागा को यह बिल लाने की आवश्यकता नहीं है।

विदेशों में जहां-जहां इस तरह के कानून पास हुए हैं, वहां परिवार में किसी का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है, बाप और बेटा अलग-अलग रहते हैं, सब अपना-अपना कमाते हैं, उनका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने की तरफ रहता है, प्रेम और भाई-चारे से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। उन लोगों में इस प्रकार किसी को मारने की भावना उत्पन्न हो सकती है। वहां पर घोड़े, गधे और ऊंट के बीमार होने पर गोली से मार देने की व्यवस्था है। लेकिन हमारे देश में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। हम तो इस बात को सोच भी नहीं सकते कि जिससे हमारा ताल्लुक रहा है, जो हमारे परिवार

में रहा है, चाहे वह मवेशी हो या इन्सान, उसके जीवन का अन्त इस प्रकार कर दिया जाए।

लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार पर जो जिम्मेदारी आती है, सरकार को उसे पूर्णतया निभाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि श्री डागा ने जो बिल प्रस्तुत किया है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि वह इसको वापस ले लेंगे और सरकार इनक्युरेबल डिजीजिज के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था करेगी, जिससे गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके।

श्री राजेश कुमार सिंह (फ़िरोजाबाद) : सभापति महोदय, श्री डागा ने जो बिल रखा है, उसमें उन्होंने "मर्सी" शब्द जोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि उनके दिल में ऐसे असहाय लोगों के लिए मर्सी छिपी हुई है। सरकार को ऐसे लोगों की सहायता करने की तरफ तवज्जुह देनी चाहिए।

इस विषय के कई एसपेक्ट्स हैं। धार्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, कानूनी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो इस देश में यह बिल लागू होने लायक नहीं है। इस बिल की लेंगेज इतनी कनफ्यूज्ड है कि यदि डागा साहब भी इसके बारे में सोचें, तो वह भटक जाएंगे। इस बिल में 'कम्पलीटली इनवैलिड' की बात कही गई है। अगर लड़ाई के मैदान में एक देशभक्त सिपाही की आंख चली जाती है, उसके हाथ-पैर चले जाते हैं, और वह इनवैलिड हो जाता है, तो क्या देश के लोग उससे पूछेंगे कि क्या तुम्हारी इच्छा मरने की है?—कभी नहीं। यह बड़ी क्रूर और दिल में लगने वाली बात है। जिस जवान ने लड़ाई के मैदान में लड़ते-लड़ते अपने अंगों को न्योछावर कर दिया और इनवैलिड हो गया, यदि आप उससे पूछेंगे कि क्या उसकी

इच्छा मरने की है, तो यह उसके प्रति सम्मान नहीं होगा।

इस बिल में माननीय सदस्य ने "ब्रेड-रिडन एण्ड सफरिंग फ्राम इनक्युरेबल डिजीज" की बात भी कही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले लोग यह खयाल करते थे कि टी बी एक इनक्युरेबल डिजीज है। लेकिन आज स्थिति यह है कि वह अच्छी हो सकती है, अगर इलाज और खान-पान की सही व्यवस्था हो, तो टी बी का रोगी भला-चंगा हो कर दुगना स्वास्थ्य प्राप्त करके समाज की सेवा कर सकता है।

माननीय सदस्य ने इनक्युरेबल डिजीज की बात कह कर वैज्ञानिक प्रगति को रोकने का प्रयास किया है। वैज्ञानिक प्रगति क्या है? डागा साहब के लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। वह विद्वान आदमी हैं। उन्होंने बहुत से डेटा और फंक्ट्स इकट्ठे किए हैं।

श्री राम विलास पासवान : वह जानते हैं कि आप बिरोध करेंगे, इस लिए उनको दुःख होगा।

श्री राजेश कुमार सिंह : इन-क्युरेबल डिजीज जैसे टी० बी० है, उसके बारे में यह सोच लेते कि टी० बी० का पीड़ित उस जमाने में अच्छा होने वाला नहीं है तो टी० बी० के रोग पर कोई रिसर्च बगैरह नहीं होती। लोग निर्णय बना लेते कि जो इन-क्युरेबल डिजीज है, जैसे कि कैंसर के मामले में है तो आज कुछ नहीं होता।

आज कैंसर पर रिसर्च चल रही है, खोज-बीन हो रही है, प्रयास चल रहे हैं कि इसे क्युरेबल कैसे बनाया जाए। अगर यह मान लें कि इसको क्युर नहीं किया जा सकता, तो इस पर रिसर्च बगैरह की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है और इसका काम

यहीं बन्द कर दिया जायेगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से जो वैज्ञानिक प्रगति मैडिकल साइंस पर होने वाली है, वह रुकेगी।

मानव समाज का एक तरीका रहा है। प्रीमिटिव एज से लेकर आज तक के मानव समाज की यह सबसे बड़ी खासियत रही है। यह चीज मानव समाज में ही नहीं आप इसे पशुओं में भी देखेंगे। डागा साहब ने शायद देखा होगा कि अगर किसी बन्दर का बच्चा मर जाता है तो बन्दरिया बहुत दिन तक उसको अपने पेट से चिपका कर घूमती रहती है। इसमें प्रेम का भी प्रश्न है। इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एनेलिसिस किया जाना चाहिए। मनुष्य समाज जिस दिन से दुनिया में आया है, यदि उसमें लगन, प्रेम-भाव, कुटुम्ब की भावना न होती तो निश्चित रूप से आज समाज का इतना बड़ा रूप दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिक प्रगति सारी रुक जाती। यह बिल सामाजिक ढांचे को भी तोड़ने वाला होगा। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे बुढ़ापे में अगर कोई इन-क्युरेबल डिजीज हो गई या हम चलने फिरने लायक नहीं रहे तो हमें स्वेच्छा से या अन्य लोगों की देखा देखी कोई अन्य रास्ता अस्त्यार करना पड़ेगा।

डागा साहब ने खुद कहा है कि अमेरिका, कैलिफोर्निया, ब्रिटेन, 10, 5 राष्ट्रों की बात उन्होंने कही कि उनमें भी सुसाइड करने के नियम हैं। उन पर केस नहीं चलता और कोई ऑफेन्स नहीं बनता। अटैम्प्ट टू सुसाइड के बारे में इण्डियन पीनल कोड में पनिशमेंट है, उसमें सजा देने की बात है, लेकिन जो मर गया, मरने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठता यह बात किसी माने में



[श्री राजेश कुमार सिंह]

सही हो सकती है, और किसी नेशन ने बड़े लिबरल एटीट्यूड से इसको अडाप्ट कर लिया होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मर्सी किर्लिंग का कानून बना दें और लोगों को स्वतन्त्रता दे दें या ऐसा वातावरण बनायें, कि असाध्य रोग से पीड़ित लोग मर जायें और हम उन पर मनो-वैज्ञानिक तरीके से प्रेशर डालने का प्रयास करें और उनसे कहें कि आप एप्लीकेशन लिखिये। डागा साहब ने खुद कहा है कि आज समाज में नैतिकता का पतन हो गया है इसलिए जज साहब की एक कमेटी होनी चाहिए जो कि उसके अध्यक्ष होंगे और उसमें दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सब मिल कर यह निर्णय करेंगे कि इस आदमी को मरना चाहिये या नहीं। लेकिन आपने उस वातावरण के बारे में कोई इलाज नहीं बताया।

साधु समाज की बात कही गई। दर्शन-शास्त्र की किसी पुस्तक को आप उठा लें। वेदान्त मीमांसा, सांख्य, बौद्धिज्म और जैनिज्म सब में निर्वाण की बात आ रही है। आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति की बात के बारे में हमारे यहां यह कहा गया है—

Liberation from bonded and sufferings but that does not mean to commit suicide.

उसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान के द्वारा ऐसी आत्मा को प्राप्त करना जिससे स्वयं ऐसा अहसास होने लगे कि मैं चैतन्य के साथ सम्मिलित हो गया हूँ और निर्वाण की स्टेज भी वही जैन-धर्म में है। ऐसी स्टेज में मनुष्य सोचने लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। जो कहा गया है कि इसमें खाना-पीना छोड़ देते हैं तो वह शारीरिक कष्ट

की बजह से नहीं कि शरीर खत्म होने जा रहा है, यह वह इस लिये करते हैं कि मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे नालेज प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति के लिये प्रयास करते हैं। इसमें कोई सुसाइड का अटैम्प्ट नहीं है।

दर्शन, सामाजिक, वैज्ञानिक और कानूनी पहलुओं को देखते हुए मैं डागा साहब से अर्ज करूंगा कि उनके दिल में जो दया है और करुणाभरी कहानी लेकर उन्होंने इस बिल को लाने का प्रयास किया है, उसमें यह प्रावधान हो कि जो बहुत अपाहिज लोग हैं, सरकार उनकी सहायता के लिये केन्द्र बनाये, उन्हें रहने के लिये जगह दे या जिनके लिये समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वह व्यवस्था करे।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : मानीनय समापति जी, आज पूरे संसार में एक प्रकार से यह विचारधारा चल रही है कि जो लोग भयंकर रोग से पीड़ित हैं, जो किसी तरह से भी अच्छे नहीं हो सकते हैं, उनको अधिकार होना चाहिए कि वे अपने जीवन का अन्त कर सकें। मैं समझता हूँ हमारे मित्र डागा जी भी उसी विचारधारा से प्रभावित हैं और इसलिए यहाँ पर इस बिल को लाए हैं। यह जीवन ईश्वर की देन है—ऐसा मैं मानता हूँ। जबसे यह दुनिया कायम है तभी से दुनिया में लोग मानते आए हैं कि ईश्वर जीवन देता है और इस जीवन को लेने का भी वही अधिकारी है। मानव को स्वयं भी यह अधिकार नहीं है कि वह अपने जीवन का अन्त कर दे। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, धर्म में विश्वास करता हूँ इसलिए मैं डागा जी के बिल का विरोध तो करता ही हूँ लेकिन मैं संकीर्ण विचारधारा नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैंने एक

अमेन्डमेन्ट भी दिया है कि इस बिल को लोगों की राय जानने के लिए प्रचारित किया जाए और जब लोगों की राय प्राप्त हो जाए तब उसके बारे में कोई कानून बनाया जाए।

जहां तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है, मैं धार्मिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से भी इसका विरोधी हूँ। आज कोई रोग असाध्य है, जिसका आज कोई इलाज नहीं है, कल उसका इलाज हो सकता है क्योंकि नयी-नयी दवाइयों का आविष्कार दिन प्रति-दिन होता जा रहा है। इसलिए आज अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है तो उसे तब तक इन्तजार करना चाहिए जब तक कि या तो कोई ऐसी दवाई न मिल जाए जिससे कि वह अच्छा हो सके या जब तक कि वह स्वयं अपनी मौत से न मर जाए।

दूसरे, मानव की जो मैटैलिटी है, उसमें जो स्वार्थपरता है, उससे भी प्रेरित होकर, ऐसा कानून बन जाने के बाद, ऐसी बातें हो सकती हैं कि लोग स्लो-प्वायजनिंग के जरिए, डाक्टरों से मिलकर किसी व्यक्ति की ऐसी हानत बना दें जिसमें कि वह यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस रोग का कोई इलाज नहीं है। आजकल डिस्ट्रिक्ट जज को भी मिला लेना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। डागा साहब ऐसा सोचते मालूम होते हैं जैसे सैकड़ों एप्लीकेशन्स आयेंगी हर जिले में इसलिए जिला जज को रखने की बात कही है। वे समझते हैं हर जिले में ऐसी सैकड़ों एप्लीकेशन्स आयेंगी कि हम मरना चाहते हैं इसलिए हमें मरने की इजाजत दी जाए।

तो मैं यह कह रहा था कि ऐसा वातावरण कुछ लोग पैदा कर सकते हैं जिसमें वे किसी व्यक्ति से लिखवा लें और डिस्ट्रिक्ट जज से भी करवा लें और फिर उसको मार

डालें। इस बिल के पास हो जाने के बाद लालच की जहनियत कुछ लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से यह बिल इस काबिल नहीं है कि इसको पास किया जाए।

आज, हालांकि एक छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन दुनिया में यह विचारधारा भी चल रही है (मैं नहीं समझता डागाजी भी उससे प्रभावित होंगे) कि जो व्यक्ति काफी बूढ़े हो गए हैं और समाज में उपयोगी नहीं रह गए हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। कहीं इस प्रकार का बिल भी डागा जी आगे चलकर न ले आये इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ लेकिन साथ-साथ यह जरूर चाहता हूँ कि लोगो की राय इसपर ले ली जाए ताकि मालूम हो जाए कि डागा जी कहां पर खड़े हुए हैं।

SHRI UITAM RATHOD (Hingoli): Mr. Chairman, Sir, I have suggested a small amendment as I feel that though the Bill is so important, it is controversial also. We have seen that with education, scientific development and technological development, we are witnessing a change in our society, and also in the family structure. There was a time when we used to have joint families; but now we find that the system of joint family is slowly dying. Earlier, we had never heard of the Dying Destitutes Home, or the Home for the Aged. But when the Government witnessed these things, the Social Welfare Ministry has also started helping this Home for the Dying Destitutes, and the Home for the Aged.

I would like to know how many Mother Teresas are there in this country who can take care of these people. At the same time, we have

[Shri Uttam Rathod]

to realize that in the present society, a man has only a moderate source of income. He works, but at the same time to supplement his income, his wife also goes for work. Under the circumstances, the man who is ailing is left on the bed, helpless.

I have myself witnessed an incident recently, only last week, when I saw my mother-in-law who is ailing for almost six years and bed-ridden. She always prayed to God: "Lord, please take me away." But the son would not allow. Ultimately, what we see is that everybody gets fed up. There is a limit for everybody. Love is there, but its intensity goes on decreasing.

Mr. Daga has said that we may be able to come across people who are prepared to give in writing that they are prepared for mercy killing or a merciful death. That is why I have suggested this amendment.

There is another reason also, ये मूल चन्द डागा है जिनका मूल कम होता है, मूद ज्यादा होता है। Just to avoid long speeches also, I would request that this Bill be circulated for eliciting public opinion.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :  
समापति महोदय, मैं सर्वप्रथम डागा जी को धन्यवाद देता हूँ—इन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन इस बिल के पेश करने के पीछे राज क्या है ; यह हम को पता नहीं चल रहा है। दो राज हो सकते हैं—या तो यह हो सकता है कि बहुत हार्ड-लेबिल कांस्पीरेसी हो, धीरे-धीरे लोगों के दिमाग को इस तरह से मेक-अप कर दिया जाय कि अब इस देश से गरीबी हटेगी नहीं, गरीबी हटाने का नारा फेल हो गया है, इसलिए गरीब को ही इटा दिया जाय।

एक कारण तो यह हो सकता है और यदि यह नहीं है तो फिर डागा जी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम एक सदस्य इस सदन में ऐसे हैं, जैसा हमारे एक साथी ने कहा कि सरकार की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी आवाज को रख रहे हैं, चाहे वह आवाज गलत हो या सही हो, यह दूसरी बात है। इसलिए इसके पीछे क्या राज है यह समझ में नहीं आता है।

अब हमारी राय क्या है ? आप जानते हैं मुहम्मद तुगलक एक बहुत अच्छा बादशाह था। उसने सोचा कि हिन्दुस्तान का नक्शा देखो, हिन्दुस्तान की राजधानी कहां हो सकती है। आप जानते हैं जितने बादशाह हुए हैं, अकबर, शेरशाह, वे कम पढ़े-लिखे थे, उनके मुकाबले में तुगलक ज्यादा पढ़ा-लिखा था, उसने नक्शा निकाल कर देखा और सोचा कि दौलताबाद में राजधानी हो सकती है। लिहाजा उसने हुकम दे दिया कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाय। बीज का भी वहां चलने का हुकम हो गया, जब आधे रास्त गये तो लॉग बीमार हो गये, उसको बाध्या होकर लौटने का हुकम देना पड़ा। उसके बाद उसका नाम पागल बादशाह लिखा गया। मैं यह कह रहा हूँ कि डागा जी ने मेहनत बहुत की है और जो-जो फैंक्ट्स वे लाए हैं, वे बहुत रिलेवेंट हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि इन्होंने इनडाइरेक्टली गवर्नमेंट के थप्पड़ मारने का काम किया है। 35 साल की आजादी के बाद हिन्दुस्तान की संसद में जो यह बिल लाए हैं, तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की अक्षमता को बतला दिया है कि जबकि लोगों को जीने का अधिकार है, संविधान के मुताबिक राइट आफ लिविंग है, इनकी सरकार ने लोगों को इतना जर्जर बना दिया

है कि लोग अब जीने की बजाए मरना चाहते हैं और यह हिन्दुस्तान का सही चित्र है और नंगा चित्र है और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN : What was his aim and what are you driving at ?

श्री राम विलास पासवान : यह तो वह बतलाएंगे। जो असाध्य हो जाए, मरने वाला हो, उसके लिए इन्होंने कहा है और वे कौन लोग होते हैं। हिन्दुस्तान के गांवों में आप जा कर देखिये कि बीमार कौन है। बीमार वही है, जो गरीब है। यहां पर 60, 70 और 80 साल के लोग हैं, जो बीमार नहीं हैं। हमारे मुरारजी भाई जी की उम्र 84 साल की हो गई है और वे इस उम्र में भी जब बदन खोलते हैं, तो पहलवान के समान लगते हैं और गांवों में चले जाइए, तो 30 वर्ष वाले को भी बुढ़ापा आ जाता है, 30 वर्ष का आदमी भी बुढ़ा हो जाता है। यहां पर 70-80 साल के आदमी के चेहरे पर लाली है। (व्यवधान) इसका मतलब यह है कि जितने लोग रोग से ग्रसित हैं, वे गरीब हैं और गरीब ही बीमार रहते हैं। अब बजाए बीमारी का इलाज किया जाए, ये बीमार को ही मार रहे हैं। इसका एक ही सोल्यूशन मेरी समझ में यह है कि गरीबी का इलाज करो, बीमारी का इलाज करो। हमारे डागा जी का 35-40 साल का अनुभव है और वे अब यह समझ चुके हैं कि गरीबी का इलाज नहीं हो सकता और अब वे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इस सरकार से निराश हो चुके हैं, इसके कार्यक्रमों से वे सन्तुष्ट नहीं हैं। इस लिए उनके दिमाग में यही आया है कि जब यह सरकार गरीबी हटाने का काम नहीं कर सकती, लोगों को बीमारी दूर करने का काम नहीं कर सकती,

तो ऐसे लोगों को मार दो और वे शान्तिपूर्वक इस दुनिया से चले जाएं।

MR. CHAIRMAN : From every Bill you can reach one conclusion.

श्री राम विलास पासवान : इस बात को सभी साथी मानते हैं कि कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है।

एक दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि किसी बिल के पीछे जो मान्यता होती है, जो लोगों का जन-समर्थन होता है, वही जन-समर्थन कानून का रूप लेता है। अब फांसी की सजा क्यों है। वह इसलिए है कि 100 में से 49 लोग अगर कोई ऐसा जुमं करते हैं, जिस में फांसी होनी चाहिए, तो लोग पसन्द करते हैं कि फांसी की सजा हो लेकिन अगर समाज में 100 में से 75 आदमी एक दूसरे को मारना शुरू करें, तो फिर यह बात आएगी कि फांसी की सजा हटाओ क्योंकि मेजोरिटी इस बात को चाहेगी और यह मेजोरिटी की दृष्टि होगी। डागा जी जो यह बिल लाए हैं, उस के माध्यम से उन्होंने सरकार को यह चेतावनी दी है कि हिन्दुस्तान में मसले इतने बढ़ गये हैं, हिन्दुस्तान में गरीबी इतनी दूर तक जा चुकी है कि लोगों में निराशा पैदा हो गई है और वे ऐसी जिन्दगी जीने के बजाए, मरना पसन्द कर रहे हैं। इसलिए इस बिल में पाजिटिव नहीं तो निगेटिव तरीके से सरकार को एक चाबुक लगाई गई है और सरकार को जो सही चित्र दिखाने का इन्होंने काम किया है, उस के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ।

इस का जो दूसरा पक्ष है, उस से मैं सहमत नहीं हूँ। सरकार को मारने का काम, उस पर डंडा चलाने का काम

[श्री राम विलास पासवान]

इन्होंने किया है ताकि वह देश में जो बीमारी है, जो गरीबी है, उस को दूर करे लेकिन उस के बाद जो दूसरा पक्ष है, इस पक्ष को आप हटा दीजिए। आपने भी जनमत तैयार करने की बात कही है क्योंकि वे जानते हैं कि इस को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मैं यह आग्रह करूंगा कि आप जहां हैं, सरकारी बैंचों पर हैं भीतर हैं या बाहर हैं, लड़ कर के भगड़ कर के, उनकी आवाज भले ही कमजोर हो, भले ही अकेली आवाज हो, फिर भी सरकार के ऊपर चाबुक लगाने का काम करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि आज देश इस स्थिति तक पहुँच गया है कि लोग मरना पसन्द कर रहे हैं— जीना पसन्द नहीं कर रहे हैं। यह कहने का काम आप कीजिए और इस बिल को वापिस ले लीजिए।

SHRI BAPUSAHEB PARULKAR (Ratnagiri) : I have all sympathies with the feeling of Shri Daga for those who are moaning in pain with diseases which according to him are not curable. He himself has frankly admitted in his speech that he has brought the Bill fully knowing that the Bill is not going to be passed, but the attention of the people and of the country could be focussed on this controversial subject.

I am in agreement with those who spoke against the Bill. But at the same time I feel that this is a subject which should be seriously considered. A serious thought should be given to this because there are both sides of this particular problem.

The Statement of objects mentions that Shri Daga was prompted to move this Bill because according to him thousands of people in this country are either completely invalid

or are suffering from diseases of which there is no treatment available in India. I pause here for a moment. He wants to confer this right on those who are not in a position to get the treatment from other countries. So, who are those people who have the right to die? These are those people whom Shri Ram Vilas Paswan described. The rich will be in a position to get good medicine from abroad but only the poor people living in small villages will not be in a position to get this type of medicine from other countries for better treatment of incurable diseases such as cancer, polio and other diseases.

Clause 2 of his Bill, says :

“‘Mercy killing’ means medically taking away the life of a person suffering from an incurable disease or who has become completely invalid due to any reasons”.

So, the disease which is curable to rich is incurable to the poor in this country and the right to die is being bestowed upon the poor through this Bill only. The rich can get treatment from abroad. On this basis, I oppose the Bill, apart from merits of the Bill.

After this Bill was introduced, many articles have been published in the press, some in favour and some against. There is no time for me to go into the details. Many instances have been quoted. But I fail to understand as to how a person who is mentally retarded, who is and will be a burden to the family, to the society, a person in coma, they are going to give consent. I will request Mr. Daga to enlighten us on this particular point. Those who are ailing but whose mental faculties are all right, will be in a position to go to the medicos, they will be in a position to make statement to the District Judge. But what about those

who are completely invalid people? Apart from that there are many who because of their ailments, because of unsoundness of mind, because of diseases are not in a position to give consent.

In foreign countries this has gone to a further extent. There is a case which is reported—wherein an adopted son filed an application under such an act to the District Judge that my father is suffering from coma. He is not in a position to take a decision. So appoint me as a guardian and under the Guardians and Wards Act, a son who wanted his father to die got himself appointed and gave a consent to the Medical Board and gave a statement to the District Judge and he said, I have a right now to give a statement on behalf of my father because I have been appointed as a guardian under the Guardians and Wards Act, I can do this. The First Court rejected his contention. But Mr. Chairman, you will be surprised to see that the District Court and the High Court accepted his contention. The ailing father who was a burden to the adopted son, who wanted to bump off the father from the world, got himself appointed the guardian and got the sanction through the court that the appointment of guardian was proper. He gave the consent and statement. Therefore, the court and the 75% of the Medical Board permitted the mercy killing. That is all legal! Is it not murder? If we have to accept this in principle why don't we abolish the offence of attempt to commit suicide from the Indian Penal Code? It is better because in the mercy killing, the person is to be killed to the knowledge of the relatives. When suicide is there, the relation does not know until the suicide takes place. He goes and takes some pill. Is it not better that the offence of 'attempt to commit suicide' be removed from the Indian Penal Code?

Apart from this, I feel that this is yet another example of some of

the Indians living there who are lured by the foreign ideas and organisations. We have such an organisation in Delhi and it is supposed to be the 28th organisation in the world who support this particular principle. Because, with a little domestic problem, they are lured by the idea. At least, there is one country in the world, Japan which does not accept this idea. In Japan, nobody asks for this right. Even when Hiroshima was completely destroyed by atom bombs, neither the Japanese Government felt that such a Bill should be passed nor did the victims at any time felt such a need. It is necessary to make legal provisions under which such people can be looked after. I would request that it would be an appropriate attempt to think in this term. Let us see as to whether the Government will be in a position and the society will be in a position to look after them. An instance was given by my friend Mr. Uttam Rathod about the son and the daughter-in-law going to office and the poor mother-in-law lying in the bed. He wishes a right of mercy killing should be provided to such persons. Instead, I would suggest that Government or social institutions should take care of them. Nobody wishes to die because of compelling circumstances or because of any disaffection from the relations. Nobody conclusion that he should be killed.

The reasons given in the Objects are that some patient like to die because of pain due to cancer, paralysis and all that. But are we not aware that in the whole history of mankind, we have tried to overcome such difficulties. When there was a pain, we used to take some tablets of

[Shri Bapusaheb Parulekar]

Asprin and some other things. Now we have gone ahead. We have Acupuncture, nerve blocking, radium treatment and even amputation. We are going for injecting drugs in spinal cord so that there is no pain at all. So, pain is not the criterion. The only question is would they be a burden to the family? It would not be a burden on the society. It would not be a burden on the Government at all.

I am not in a position to accept his submission and my last submission which I would like to make is that we should not forget that it is those patients who were suffering in the past with such serious diseases and because they were not killed the doctors could work on them and many medicines have been found out and invented. Because of these experiments, on those serious patients who were not cured, we are in a position to eradicate small pox and other serious diseases.

Therefore, what I feel is instead of giving the right to mercy killing, we should see that the doctors look upon them with kindness and give treatment and the Government take care of such persons. You create Mother Teresas. When we are in a position to spend crores of rupees on our elections, are we not in a position to spend crores of rupees on the creations of Mother Teresas who can look after them.

Life is very precious. I feed and believe that we cannot create life, we have no right to take it. When we are unable to create life, we have no right to take away that life. Therefore, instead of passing such an Act, I believe, Mr. Daga should bring a Bill to save human beings from sufferings and cruelty. That should have been the title of the Bill in all fitness of things. Because, after all, we are not creating "Mr. X". We are creating

his body. The Gita has told us : Neither the weapon nor the fire, nor the water, will destroy the Soul. So, the Soul sits in the body. We are going to destroy the body, not the Soul. Therefore, by this particular Bill, no purpose is going to be served. So, I strongly oppose the Bill.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभा-पति महोदय, श्री डागा के इस बिल ने मेरे जैसे आदमी को बड़ी दुविधा और उलझन में डाल दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिल का किस तरह से समर्थन किया जाए। जहाँ तक मैं अनुभव करता हूँ, इस बिल का मसौदा बनाते वक्त डागा साहब के दिमाग में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परम्परा की बात नहीं रही होगी। उनके बिल का मसौदा बताता है कि वह यूरोप, अमरीका तथा अन्य पाश्चात्य देशों की सभ्यता से ज्यादा प्रभावित हैं। इतिहास बताता है कि जितनी ममता और मानवता हमारे देश में है, उतनी पाश्चात्य देशों में नहीं है। हमारे देश में आदमी कितना भी बीमार हो, असाध्य रोग से पीड़ित हो, लेकिन हमने देखा है कि वह मरना नहीं चाहता। मैं खास तौर से अपने देश की सरकार को, प्रधान मंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को बघाई देना चाहूँगा कि उनकी छत्र-छाया में और उनके प्रयास तथा प्रोत्साहन से हमारे देश ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है कि आज किसी रोग को भी असाध्य नहीं कहा जा सकता।

मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आज से 25, 30 साल पहले तपेदिक, टी बी, को एक असाध्य रोग माना जाता था। जिस किसी व्यक्ति को यह रोग हो जाता था, वह बचता नहीं था। उसके परिवार के लोग

पहले ही अंदाजा लगा लेते थे कि अब वह बचने वाला नहीं है। यही स्थिति कैंसर रोग की है। उसे असाध्य रोग कहा जाता था, लेकिन बहुत रिसर्च और छानबीन करने के बाद कैंसर की कई किस्मों पर कंट्रोल कर लिया गया। दमे और फ़ालेज को भी असाध्य रोग माना जाता था, लेकिन अब उनकी चिकित्सा में काफी सफलता पा ली गई है।

माननीय सदस्य की यह बात किसी हद तक सही है कि जो रोगी चार, पांच, छः साल तक चारपाई पर पड़े रहते हैं, जो गरीबी से पीड़ित हैं और जिनका इलाज नहीं हो पाता, कभी-कभी उनके मन में यह बात आती है कि ऐसी ज़िन्दगी से मौत अच्छी है। लेकिन असल में उनकी अन्तरात्मा यही कहती है कि वह मरना नहीं चाहता।

सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है, लेकिन अगर खुदान-खास्ता इस तरह का कानून बन गया, तो मेरे जैसे व्यक्ति को भरोसा नहीं है कि इस कानून का सदुपयोग हो जाएगा—इसका दुरुपयोग ही ज्यादा होगा, इसके सदुपयोग की कोई सम्भावना नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि घर घर में, गांव गांव में, बिरादरी बिरादरी में पार्टीबन्दी है और अच्छी खासी हालत में लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अगर डागा साहब ने इस बिल को पारित करवा कर इसे कानून बनवा दिया, तो लोगों से बदला लेना बहुत आसान हो जाएगा।

डागा साहब ने तर्क दिया है कि पारचात्य देशों में नर्सों और डाक्टरों ने, या मरीज के माता-पिता और सम्बन्धियों ने उसको ज़हर का इन्जेक्शन दे कर या गोली देकर मारा है। उन्होंने बताया है कि हमारे देश में भी ऐसा समय रहा है कि अपंग और अपाहिज लोगों को शान्तिपूर्वक मरने की इजाजत दी

जाती रही है। मेरा निवेदन है कि यह बात अमरीका, यूरोप के देशों और अन्य पारचात्य देशों में लागू हो सकती है, क्योंकि वहां के भौतिक जीवन के लोग तंग आ गए हैं और वहां के लोग ऐसे देशों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर कि वे समझते हैं कि शांति मिलती है, आराम मिलता है। तो मेरा निवेदन है कि डागा साहब का यह बिल हमारे देश की भूमि, यहां की जलवायु, यहां की परम्पराओं और यहां की सभ्यता और संस्कृति को देखते हुए कतई व्यावहारिक नहीं है और कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति उनके बिल का समर्थन नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी जो भावना है वह इस बिल के माध्यम से लोगों तक पहुँच जाय और फिर इस के सम्बन्ध में जनमत का पता चल जाय तो हो सकता है कि किसी तरीके से उनकी यह मंशा पूरी हो जाय। लेकिन मैं अन्तिम शब्दों में यह बात कह कर खत्म करूंगा कि डागा साहब इस बिल को वापस ले लें और मैं समझता हूँ कि वह लेंगे ही। उन्होंने इस के लिए इतनी तकलीफ उठायी है, रातों-दिन मनन कर के उन्होंने इस को तैयार किया है। लेकिन यह बिल इस देश के लिए कतई व्यावहारिक नहीं है, इसलिए मैं इस का विरोध करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI T. NAGARATNAM (Sriperumbudur) : I am very glad that I have been permitted to participate in the debate on the Private Member's Bill, the Mercy Killing Bill, which has been moved by my friend Shri Mool Chand Daga.

I vehemently oppose this Bill, alongwith many Hon. Members who participated in the debate on the Bill.



[Shri T. Nagaratnam]

I also support the Opposition Members who opposed this Bill.

Here may be a Society, a dedicated and humanitarian Body, founded not for gain but for a cause which says and expresses the opinion of the futility of keeping a person alive when crippled or suffering from incurable disease and when that person wishes to die.

But the fact of life is that some patients are afflicted with diseases. There are doctors to cure diseases. The patient may be leading a miserable and painful life. But with the help of gadgets and drugs the pain can be relieved.

Some people are living like vegetables, suffering and unable to move about. There are some others in the country who are chronically ill with no hope of survival. There are a number of people who have been in a coma for years together. Some others are stricken with deadly disease and excruciating pain. Therefore, the Bill seeks that these sufferers may be allowed to die with dignity.

So far as the society has euthanasia and it remains confined to some other rich and developing countries, I feel and believe that an individual has the right not only to live with dignity but also to die with dignity. It does not mean that he will be killed or made to commit suicide while has been suffering from incurable disease.

The State must protect the life of every individual.

I draw the attention of the Minister of Health to prevent diseases.

Our country which is having faith in democratic principles, cannot deprive one's life. It is already provided in our Constitution in Fundamental Rights in Article 21.

"No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law."

We cannot deprive one's life. It is very clearly laid down in Article 21.

The dictionary meaning of 'killing' is to deprive one's life. It is noted in article 21 of the Constitution. Article 21 even says, 'according to the procedure established by law'. This Bill, if it is passed, will violate article 14 of the Constitution—'The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law'. The State must protect each and every individual. Therefore, the Fundamental Rights should not be infringed by the initiation of this Bill, even though it may be a Private Member's Bill. Does our law allow a person to commit suicide even when he is driven to wish to die from harassment, unemployment, failure, drug addiction or mental imbalance? It does not. If a person tried to commit suicide and he is prevented therefrom and is caught, then he may be prosecuted in the court under section 309 of the IPC for 'attempt to commit suicide'.

The most important ethic for medical men all over the world—and this is recognised by the Geneva Convention—is to preserve life from the day of conception till death. Doctors have already committed a moral mistake by accepting to perform abortions which is to be excused because it is in the interest of mankind. But the success or acceptance of abortion does not mean that the law for mercy killing or wilful death can also be accepted and passed. Hon. Member Shri Mool Chand Daga initiated this Bill stating that persons suffering from incurable diseases should be

killed or may be killed—death with dignity, and all that. But most religions hold that, since life has been divinely bestowed, it may only be withdrawn by the same agency. Of course, I belong to the DMK Party and in our Party we have not accepted this theory. The State even in Communist countries, regards suicide and its abetment as cognizable offences. But we are governed by the Indian Penal Code where, under section 309, it is not a cognizable offence. The old practice of *sati* has often revealed the extent to which the subjects' will was influenced by others. It was abolished.

Most of the mothers have condemned 'mercy killing' equally strongly. I can say that it is the same as murder of an ordinary child. There can be no question of any handicap; it is a question of taking away a life. People may suffer from multiple disabilities, may be mentally retarded or physically handicapped, may be suffering from epilepsy or incurable leprosy. But the State must give protection to them, and proper treatment must be provided. This is a Bill which seeks to take away human life. It shows that the country could not achieve scientific and medical advance.

I would like to quote an English poet who wrote :

"I am the captain of my soul;  
I am the master of my fate"

The fate is in the hands of an individual; the soul is contained in the body. A legislation cannot take away life from the body.

I would like to draw the attention of the House to the fact that the Christians, the Catholics, and the Mohammedans have not followed family planning—by way of having vasectomy and tubectomy.

Mr. Daga has brought forward this Bill on the basis that a person has a right to die. Sir, an individual has no right to die. If he dies voluntarily, there ends the matter. Suppose he is prevented, then he is prosecuted in a court of law.

17 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

I would like to draw the attention of the Health Minister and the House. Sir, my Party, the DMK party was in power in Tamil Nadu. We started so many Leprosy Rehabilitation Centres in Tamil Nadu. Our Prime Minister opened a Leprosy Rehabilitation Centre and praised the DMK Government and my beloved leader. The Prime Minister stated in the meeting while opening the Centre that other States should follow the path of Tamil Nadu.

So many persons are affected with cancer. Many were admitted and died in various hospitals. I have got here statistics about these for the three years of 1978, 1979 and 1980. There are 130 hospitals in all the States including the Union Territories which admitted cancer patients. In 1978, there were 45,757 admissions and the number of deaths were 3702. In 1979, 70 hospitals reported and the number of admissions was 48,995 and deaths-3735. In 1980-75 hospitals reported admissions and the number admitted was 53,624 and the number of deaths was 3665.

Then in Tamil Nadu alone, in 1978, 16 hospitals admitted cancer patients. The number of admissions was 9930 and the number of deaths was 321. In 1979, the number of hospitals was, 12, the number of admitted patients was 9789 and the number of deaths was 236. In 1980, the number of hospitals was 12, patients admitted — 9933 and number of deaths was 181.

[Shri T. Nagaratnam]

About this Bill I would like to say a few words. About mercy-killing.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are now only coming to the Bill ?

SHRI T. NAGARATNAM : I will conclude my speech. As per dictionary, 'mercy' means pity for a suffering person. My friend is a very enlightened person and is an aged gentleman. I wonder how he is advocating this mercy-killing. I think, Sir, Mr. Daga is a pure vegetarian.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now about time for this Bill,.....

SHRI MOOL CHAND DAGA : The time be extended by 55 minutes as there are many speakers.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are 3 more speakers also.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Let the time be extended by one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Many Hon. Members have spoken.

SHRI MOOL CHAND DAGA : But many more want to speak. They have given their names also. It is a very important Bill, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then you have to reply.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Then we can take it up in the monsoon session. In the mean time many articles will appear in the papers. Let it be.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The next Bill has also to be moved.

SHRI MOOL CHAND DAGA : I request, Sir, this is a Bill which has

attracted the attention of so many newspapers, doctors, lawyers and medical practitioners.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : The next Bill is also to be moved.

SHRI MOOL CHAND DAGA : So many societies are formed in the country. So many want to participate. Let them participate on this. I want to understand them. If need be, let this be circulated for eliciting public opinion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We extend the time for this Bill by half-an-hour. There is another Bill also. You will also be placed yourself in the same position on some other Bill.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, after all, this is a very important Bill. There are so many members who want to participate.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is now extended by another half-an-hour. Mr. Nagaratnam, you will please conclude now.

SHRI T. NAGARATNAM : Mr. Deputy-Speaker, Sir, before I conclude, I only wish to draw the attention of Shri Daga to one thing. I suppose he is a vegetarian. How he initiates this Bill to take away human life by a legislation? Humans cannot create human life but can destroy the human life.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Therefore, you oppose this.

SHRI T. NAGARATNAM : Therefore, I oppose this Bill and I conclude my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Gadhavi.

SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI (Banaskantha) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, my learned

friend, Shri Daga is a very ingenious man. It might be haunting so many people who want to die because they cannot withstand the miseries of the diseases. This has been rightly espoused by him. But, I think, the title that is given to the Bill is not proper. What I would suggest is that this Bill should be entitled in a better way 'Voluntary emancipation of one's soul from the diseased body.'

**SHRI MOOL CHAND DAGA :**  
Very good.

**SHRI BHERAVADAN K. GADHAVI :** That would be the right title. That is my thinking.

In our revised 20-Point Programme we are going to tackle the very dreadful disease—leprosy. In the olden times, when the poor lepers were suffering from that disease, it was customary that they were left out of the society and even out of the village to die.

Some diseases are incurable and so, one would wish to die rather than suffer the agonies of the dreadful life. I know the fate of this Bill. Either Mr. Daga would be persuaded to withdraw it or it will not pass through. But the Hon. Health Minister sitting here besides speaking on the provisions of this Bill and its objective, would certainly like us to impress upon the Government that there are diseases which a man is suffering from and as such he would like to die rather than to live. Presently, we have declared that we will be providing health to everybody by the end of this century. At least, it would be our duty to check these quacks who, if not already are spreading the disease, at least should understand that their cruel methods do more harm to the patients because, they suffer the misery for the whole of their life.

Sir, recently, there are reports from Gujarat and other places where certain eye camps were organised. The incompetent doctors have performed operations on the people and made them blind. It was reported also that they used the razor blades and knives for the operation. If this is the state of affairs in our country of our medical practitioners and if there is no proper check on this criminal act, I am afraid, very few diseases which are termed as incurable may prove that people suffer from more and more of incurable diseases. Therefore, when I speak on this particular aspect, I wish to draw the attention of the Hon. Health Minister to take care of all these things. So far as Mr. Daga's Bill is concerned, of course, he has contemplated so many checks and measures so that doctors in their 'fanciful frenzy' would not kill a man and therefore the tribunal, the court, and so many other things have been contemplated rightly. Mr. Daga's object I think must be this : By bringing in this Bill, it is not so much that he wants to see that this Bill is, passed, but for this reason : Nowadays in our advanced society, medical facilities and medicinal research services are extremely poor in respect of exchanges within the country and exchanges from abroad also; and it may be the wish of our friend Mr. Daga that it is high time that we pay the most apt and proper attention towards Research in medicines, research on curing the disease in such a way that even for incurable diseases, the persons can be cured and thereby the eradication of diseases can be brought about speedily in society. From this point of view particularly I am speaking. It may be that in modern times, one would like to kill himself, because one is suffering from some incurable disease; because it is incurable disease the man should be permitted to kill himself voluntarily or by some doctors. Of course, my friends there, while speaking, referred to

[Shri Bheravadan K. Gadhave]

abortion. A cogent argument can well be placed, if you can permit abortion, if you can kill an embryo, why not kill a human being? In our Indian Penal Code, under Section 309, 'attempt' is punishable, not 'accomplishment of an act'. Therefore, such a man who suffers from the agony of the disease and who attempts the suicide can be punished. Sir, I don't think it would be necessary to formulate a Bill in this fashion that doctors should be permitted to do it by injecting something. But, at least, there should be an Amendment in the Indian Penal Code. If a man wants to commit suicide, if it is established that he was suffering from such an incurable disease, where his continuance of living would be more miserable and difficult for him, if it is established in the Court, that he is suffering from such disease, and if treatment is not successful, at least in such a case, the prosecution that we launch should not be launched and he should not be punished.

I know that definitely our Health Minister would bestow all his attention in the matter of eradication of even incurable diseases. I am sure that he would certainly see to it that incurable diseases are eradicated from this country. And, with this end in view, I appreciate the objects of Mr. Daga in bringing this Bill forward for the consideration of the House. With these words I conclude.

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, डागा जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, इसके सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि डागा जी या तो बहुत कारुणिक हो गए हैं या फिर बहुत बड़े धार्मिक हो गए हैं और ऐसा भी लगता है कि वे बहुत व्यावहारिक हो गए हैं।

आज की स्थिति में उनके मन में जो भावना आई है, उस से ऐसा लगता है कि

वे सिर्फ अपने ही देश को देखकर के इस बिल को नहीं लाए हैं.....। बल्कि विश्व के दूसरे देशों को भी उन्होंने देखा है। इस आधार पर लगता है कि यह बहुत ही विचारपूर्ण मन्थन के बाद इस बिल को लाये हैं और इस पर जो चर्चा हो रही है और गम्भीरता से विचार सदस्य प्रकट कर रहे हैं इससे इस बिल का महत्व और भी बढ़ गया है। धार्मिक होने का मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसके अन्दर मुक्ति पाने के लिए इस तरह से मरण न होता हो। मेरा कहना है कि धार्मिक को धार्मिक ही रहने दें, कानूनी मान्यता इसमें न लायें। कानून की दृष्टि से आत्म हत्या होती है। मगर जैन धर्म के अन्दर अगर धर्म रूप से धीरे धीरे अपने शरीर को क्षीण करने हैं तो वह निर्वाण के लिये जाते हैं। अगर अपनी मांग के लिये हंगर स्ट्राइक करने हैं तो तुरन्त कानूनी चीज आ जायगी और फोर्स फ्रीडिंग करेंगे या आत्म हत्या के नाम से मुकदमा चल बायेगा। क्योंकि डागा जी धार्मिक हैं तो उन्होंने धर्म को ज्यादा से ज्यादा लिया है। उपवास के बाद मुक्ति भले ही बीमारी से छुटकारा न मिले मगर उसको मुक्ति जरूर मिल जायगी। इसी तरह से आज की जो व्यवस्था है भारत में वह तो बहुत कुछ है पारिवारिक व्यवस्था जिसमें अपने बुजुर्गों की परिवार का हर सदस्य इज्जत करता है और अपने जीते जी उनको ज्यादा सुविधा देने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि मरणान्त तक अच्छी भावना ले कर जायें, कोई पीड़ा न हो। मगर जिस तरह आज परिवार बट रहा है, आर्थिक स्थिति से हो या दूसरे देशों की देखा देखी, हम देखते हैं कि हमारा भी परिवार बट रहा है। लड़का बाप से अलग हो जाता है, वह चाहता है

कि बाप की पूंजी हमारे पास आ जाय। तो इस स्थिति में भी ठीक है, उनका विचार बहुत आगे का है और विदेशों की स्थिति को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि ऐसी व्यवस्था कर दें।

दूसरे यह कारुणिक है। तो मुझे लगता है कि जो आधार उनका है, आगे भी ऐसा हुआ कि एक बछड़े की करुणा देख कर गांधी जी को भी यह लगा था, तड़पता हुआ बछड़ा आश्रम में दिखाई दिया, तो उनको भी अनुमति देनी पड़ी कि इसका अन्त करने के लिए कोई दवा दी जाय। वह स्थिति आगे नहीं हुई। गांधी जी का इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है कि मनुष्य पर आज-माया जाय। और डागा जी उसे मनुष्य के रूप में भी देख रहे हैं अपनी करुणा के आधार पर।

तो मेरा कहना है कि इसको जहां का तहां रहने दें। इस्लाम धर्म के अन्दर भी, हिन्दू धर्म में भी प्रायश्चित्त के लिए बलिदान करना किसी देवता को खुश करने के लिए गला काट देना क्षम्य रहा है। कानून से नहीं। तो उसकी धर्म तक ही रहने दें कानूनी रूप न दें।

अभी क्या होता है, जहां तक बीमारी का प्रश्न है स्वास्थ्य मन्त्री जी यहां पर है वह तो दावा करेंगे कि विश्व के अन्दर सभी बीमारियां ठीक हो रही हैं और हमारे देश में भी प्रगति हो रही है। ऐसे भी कई तरीके हैं जिससे उसकी पीड़ा कम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जो उनकी है, अभी तक एक जानकारी थी कि न रहे बांस न बजे बांसरी, मगर एक नया मुहावरा डागा जी ने दे दिया है कि न रहे बीमार, न रहे बीमारी। तो मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मगर जो कारुणिक रूप

से प्रयास किया है वह ठीक है और मरण के बाद जो मुक्ति होती है उसको धर्म के रूप में ही रहने दें, कानून का रूप न दें, यही मेरा निवेदन है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the Minister will intervene.

SHRI MOOL CHAND DAGA : No, Sir. There are so many Members who want to participate in this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have half an hour. You have got to reply also.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, you can extend the time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have called the Minister to speak.

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : (Pilibhit) Sir, I will take only two minutes.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Mr. Deputy-Speaker, Sir, you should ascertain the views of the House. You should give fifteen minutes more, specially when people are there to speak. So, I humbly submit, Sir,....

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Daga, Mr. Vajpayee wants to move his Bill. Unless we finish it, it will get lost.

SHRI MOOL CHAND DAGA : You kindly give two or four minutes to each Hon. Member. He can move his Bill, I don't mind.

MR. DEPUTY-SPEAKER : How can he, unless we finish it.

SHRI MOOL CHAND DAGA : But, Sir, there are so many Hon. Members who want to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right, two minutes each. Shri Vajpayee has come ; therefore two minutes each member will speak. Shri Patil is not speaking.

SHRI MOOL CHAND DAGA : No, Sir, Shri Patil wants to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you conducting the deliberations or myself ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह क्या हो रहा है साहब ?

एक माननीय सदस्य : मर्सी किलिंग ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, he is killing the time of the House without any mercy.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Shri Gangwar will speak.

श्री हरीश कुमार गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, डागा साहब ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है,

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you going to support it or oppose it ?

SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : Sir, I am going to support it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then you speak because everybody has opposed it.

श्री हरीश कुमार गंगवार : जब मनुष्य किसी ऐसी गहरी बीमारी से, जिससे उसका जीवन नकं हो रहा है, छुटकारा पाना चाहता है तो उसे यह अनुमति मिलनी चाहिए। सैकड़ों बीमारी ऐसी हैं जिनमें प्रादमी तिल-तिल कर मरता रहता है। 5,10 साल जो भी वह जीवन में रहता है...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Should not his permission be taken to end his life ? What right have I got ? Should not permission be taken from that patient ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, it is a very intelligent intervention. I would like to complement you on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Who am I to take away his life which is given to him ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, that is in the Bill itself. His views will be ascertained not by doctors only, but by the Judge also. That is the criteria. His views will be ascertained.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : The person who is in coma, how will he give his views ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई थोड़ा बेकार हो जाये, उसकी टांग टूट जाये या किसी दूसरे जानवर को ऐसी बीमारी हो जाये जो किसी काम का नहीं रहे, प्राचीन काल से ही उसको मार देने का कार्य होता आया है। लोग गोली मार देते हैं, दूसरे प्रकार से उसके कष्ट का अन्त करने के लिये उसे मार देते हैं।

यदि कोई व्यक्ति इसी प्रकार से किसी गम्भीर रोग से पीड़ित है और वह संसार में जीवन-यापन करने के योग्य नहीं है, अपने जीवन से कोई सुख-सुविधा दूसरे को नहीं दे सकता, अपने लिये नहीं जुटा सकता, उस का जीवन मार-स्वरूप है तो उसे ऐसे समय में स्वयं अपने जीवन का अन्त करने का अधिकार होना चाहिये। बहुत समय तक बीमारी से खाट पर पड़े रहना, अपने घर

बालों को, कुटुम्ब को तकलीफ देना और अपने आप को तकलीफ देना किसी भी प्रकार से जायज नहीं है।

इस लिए मैं अधिक न कहते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अन्य लोग भी इसका समर्थन करेंगे।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री डागा जो बिल लाये हैं, मैं उसके औचित्य को मद्दे-नजर रखते हुए चाहता हूँ कि इसे पब्लिक ओपीनियन, जनमत जानने के लिए सकुंलेट किया जाए। जो व्यक्ति रुग्ण है, जीवन से लाचार है, जो जीवन के साथ संघर्ष कर रहा है, समाज और अपने परिवार के लिए जिसकी उपयोगिता नहीं रह जाती, वह जीवन से मुक्ति चाहता है। हमारे देश में मुक्ति प्राप्त करने की परम्परा भी रही है। बहुत लोग मुक्ति पाने के लिए साधना करते रहते हैं। जहाँ तक आत्मा का सम्बन्ध है, वह अमर है। आत्मा को न शस्त्रों से छेदा जा सकता है, न आग से जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है। आत्मा समाप्त नहीं होती। आत्मा अमर है और उसके किलिंग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

लेकिन जिस व्यक्ति की किसी असाध्य रोग से बचने की कोई आशा न हो, जिसका कोई उपचार न हो सके, यदि मैडीकल बोर्ड या खुद वह इस तरह का आवेदन करे, तो वह विचार करने लायक प्रश्न बन जाता है। यह देश अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास करता है। हम देखते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिनका हाथ या पैर कटा है, और वे रोड पर घिसटते हुए चलते हैं। जीने की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं, जो मृत्यु-शय्या पर पड़े-पड़े कराहते और सिसकते रहते हैं। वे भगवान से

प्रार्थना करते हैं कि हमें उठा लो। ऐसे व्यक्तियों को अगर इस बिल के दायरे में लाया जाए, तो कोई हर्ज नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं आप से आग्रह करूँगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए।

श्री चतुर्भुज (भालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति की हर विभूति ने माना है कि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, यह कोई पुस्तक का दिया हुआ सिद्धान्त नहीं है, बल्कि यह एक साइंटिफिक न्यू है। साइन्स का सिद्धान्त है कि आत्मा अमर है। इस लिए डागा जी जो बिल लाए हैं, वह वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल है। लोग बहुत दुखी हो गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनको बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आत्म-हत्या जैसी बात को लेकर डागा साहब ने जो बिल रखा है, उसे वह वापस ले लें। वह सब बूढ़ों की एक ऐसोसियेशन बना कर यह जानकारी ले लें कि वे लोग क्या चाहते हैं। तब उन्हें यह बिल लाना चाहिए।

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAD) : Sir, The Hon. Members who participated in this debate have really lessened my burden of speaking about, and expressing my views on the provisions of the Bill that the Hon. Member has sought to be discussed in this House. The amendment that he has introduced shows that he has not given enough thought to it. He has sought even to change the title of the Bill. That is what he has moved.

SHRI MOOL CHAND DAGA :  
What is the objection ?



MR. DEPUTY-SPEAKER : You can reply later on. Note down all the points.

SHRI B. SHANKARANAND : I have no objection. Let him change his views every time. I have no objection.

I do not know what has prompted Mr. Daga to introduce this Bill. Is he himself fed up with life ? I do not know.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Can he not express his views ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : What I have said and what answer is he giving ? I have put up a new idea before the House. Please try to understand in that perspective.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is an original thinker. Therefore, a new idea he has given.

SHRI B. SHANKARANAND : Unfortunately, Mr. Daga does not understand the saga of life. If you go through the provisions of this Bill you will find that he has not applied his mind. When I say that he has not applied his mind, it is not for the sake of humour and fun. If anyone looks to the provisions of this Bill, he will find that he has absolutely not given any thought. Some idea came into his mind and that idea he has brought out here. He has not given any thought about the entire machinery which is involved, which will permit any doctor to give a certificate. I do not know whether that doctor will be competent to give such a certificate. He has not thought anything. He has spoken about the Medical Board; he has spoken about the doctor, court and so many other things in this Bill. If a man wants to die and if he knows the provisions of this Bill, perhaps he will say, I do not want to die. This is what Mr. Daga has got in his mind. I do not know. He himself is a lawyer.

SHRI ATAL BIHARI VAJ-PAYEE : You suggest some simplification.

SHRI B. SHANKARANAND : When he has brought both mercy and killing together, how can it be simplified ? Killing and mercy is the title of this Bill.

AN HON. MEMBER : Both are contradictory.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Life becomes a burden.

SHRI B. SHANKARANAND : Life becomes a burden not because of the disease. If you want to introduce that clause in this debate that life becomes a burden, it becomes a burden not only because of these diseases but because of many circumstances. Even a healthy man may commit a suicide and end his life. If you read his statement of objects and reasons you will find how in a casual manner these things have been brought. He says, "Thousands of people in this country are either completely invalid or suffering from diseases of which there is no treatment available in India." Thereby he means treatment is still available somewhere else. And what he says next, "They are a burden to themselves, to their families as well as to the society". So, the main concern here is monetary consideration for life and so he should think in terms of money! That has prompted him to bring forward this Bill. He has completely forgotten the culture, the great culture and tradition of this country where human values have been developed to such an extent that the entire world is looking at India for its cultural background, its appreciation value. The entire humanity is attracted towards India. That is what Mr. Daga has forgotten. He has sought to justify his contention by quoting some decisions in some

foreign countries, some western countries where the cultural background compared to this country is entirely different. We may be poor; we may be illiterate. But look at a family; howsoever poor a man may be and his children; the parents and the children want to live under the same hut and in the same room; whereas in the so-called developed countries, their culture has completely broken the family.

The parents are somewhere else, the children are somewhere else. The question of old age home is haunting the minds of the western people. But that is not the case in this country. So, we cannot forget this cultural background. We must be proud of our culture. We have been taught to save life and not to kill life.

Mr. Daga spoke of Sadhus, Jainism, Buddhism and all that. May I give a small example to him? A Sadhu was having his sandhya by standing in the river. When he was deep in the water, he saw a scorpion, which was floating on the water and it was about to drown. Before it was drowned, the sadhu picked it up. The scorpion is a scorpion. It bit the sadhu and he dropped it. Again it was drowning. The sadhu again picked it up and again it bit him and again it was dropped. This process went on for some time. A man like Mr. Daga, who was standing on the bank of the river, was watching this scene. He asked the sadhu as to why he wanted to save that scorpion when it was biting him and not let it be drowned. The sadhu said: "Look, I am a human being. God has given me brain. This is a creature which has no brain and no power to think. Still it is not giving up its habit of biting. The man has been bestowed with brain, thinking power, compassion and all that. So, how can I give up my habit of saving?"

**SHRI BAPUSAHEB PARULE-KAR:** Who is the scorpion here?

**SHRI B. SHANKARANAND:** God has inculcated into the mind and body of the man everything. We are meant to save and not to kill. That should be the background while considering this Bill.

I am happy that other Members also very vehemently opposed this Bill. Perhaps, some Members of this House may know that one Hon. Member of this House, Mr. P.V.G. Raju, was in coma for many months. If Mr. Daga's Bill could have been enacted, what would have happened to him? He would not have been a Member of Parliament today.

I do not know whether Mr. Daga has come to know about the modern methods of medicine. He is blind to the development of modern science in medicine. Many diseases which were considered to be incurable at one time, have become curable with the invent of modern medicine. Thanks to the people who have invented advanced methods of medicine. We have eradicated small-pox entirely. We have reduced malaria to a considerable extent.

We are committed to the programme of health for all by the turn of the century through primary health care. This is purely meant for the poor people and to give them relief. If Mr. Daga's Bill is enacted, poor people with minor ailments will think of ending their lives. Even their family members will think that it is better if they die. But that is not our culture. That is not the approach of the Government. We want to provide medical and health care to the people in order to create a hope to live and to live a healthy life.

Sir, with these words I should say that Mr. Daga should honourably withdraw the Bill, he should kill his own Bill mercifully! That is what I say.

**SHRIMATI KRISHNA SAHI (Begusarai):** Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Health Minister should have

been grateful to Mr. Daga for he has indirectly pleaded for population control.

SHRI B. SHANKARANAND : Population control ! Please don't speak about that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, Mr. Daga may speak. Mr. Daga, I request you to be brief.

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, जिन-जिन सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। मुझे दुःख है कि मेरे बिल की भावना को सही रूप में नहीं लिया गया, अच्छा होता यदि इस बिल को लोगों की इच्छा जानने के लिए प्रसारित किया जाता। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी का भी बड़ा आभार मानता हूँ—किस सूझ-बूझ से वह काम लेते हैं, भगवान करे यह सूझ-बूझ उनके ही पास रहे। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या बिल रखा है....

श्री आर० एन० राकेश : उन्होंने बिल को ठीक से पढ़ा नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : अगर वह बिल को पढ़ लेते या पढ़ने की कोशिश की होती, तो बहुत बड़ी कृपा होती। उन्होंने ममता, प्रेम, संस्कृति का उल्लेख किया, लेकिन मैंने कब कहा है कि लोगों को मार देना चाहिए। आपने कहां सुना, किस मूर्ख ने सदन में यह बात कही है कि उनको मार देना चाहिए, आप क्या समझ बैठे हैं? आप कृपा कर मुझे बतलाइये—कहां ऐसी बात कही गई है? आज जीवन के मूल्य कम हो गए हैं, नैतिकता कम हो रही है, आज कुटुम्ब संयुक्त परिवार के रूप में रहना नहीं चाहते। मैंने कई उदाहरण पेश किए थे—हिन्दुस्तान में भी ऐसा हो गया है कि बच्चे अपने पिता के

साथ रहना नहीं चाहते। परसों के ही पेपर में आया है—कई लोग अपने मां-बाप के साथ रहना पसन्द नहीं करते, वे अपना अलग जीवन व्यतीत करते हैं तथा बीमार मां-बाप की देखभाल नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने यह नहीं कहा है कि उनको मार देना चाहिये। हिन्दुस्तान के स्वास्थ्य मन्त्री जो इस देश की 68 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हैं—अगर इस बिल को समझ लेते तो ऐसी बात न कहते। फिर भी मुझे उनकी बात से कोई दुःख नहीं हुआ है। मेरा "मर्सी" का मतलब यह है कि मुझे संसार में रहना है, मुझे जीने का अधिकार है, लेकिन मैं गर्व के साथ जीना चाहता हूँ। आपने सांप और बिच्छू का उदाहरण दिया लेकिन वे इसमें कहां लागू होते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं है कि उनको मार दो। दिक्कत यह है कि आप को समय नहीं मिलता है, बहुत काम है, हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य काफी सुधर गया है। आप इस पर काफी ध्यान देते हैं, सारे अस्पतालों को घूम-घूम कर देखते हैं। इसलिए मुझे ऐतराज नहीं है; लेकिन मुझे एक बात का ख्याल है कि इस बिल की जो भावना थी उसको आपने समझा नहीं। मैंने कहा था—बदलते हुए मूल्यों के समय में हमें भी परिवर्तन लाना चाहिए। आप देखिये—एक समय था—एबोर्शन कराना गुनाह माना जाता था, जुल्म समझा जाता था, लेकिन इसी देश में आपने उसको लीगलाइज कर दिया।

एबोर्शन को लीगलाइज किया जाता है और हमारे बड़े धर्म को मानने वाले और महात्मा बैठे हैं स्वास्थ्य मन्त्री जी, जो कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए। आप कह दीजिए कि एबोर्शन भी गलत है क्योंकि उस में भी तो एक हत्या होती है। इसलिए इस बात को आप बहुत गहराई से सोचिये।

जिस को पहले हिन्दुस्तान के लोग अपराध मानते थे और जिस के लिए सजा होती थी, उस को समय के बदलने के साथ, जो परिवर्तन हुए हैं उन को देखते हुए, मान्यता दे दी गई है। आज समाज में बहुत परिवर्तन आया है, आज समाज में प्रेम और मानवता इस विज्ञान के युग में जिस प्रकार की है, उस में पैसे की राजनीति ने सारी मानवता को खरम कर दिया है।

मैंने यह नहीं कहा कि कौमा वाले को मार दो। अगर आप थोड़ी सी क्लोज़ पढ़ लेते तो अच्छा होता। यह छोटा सा बिल था। मैंने उदाहरण दिया था कि एक आदमी बोल सकता है, दिमाग से काम कर सकता है लेकिन वह शरीर से उठ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, चल नहीं सकता, पाखाना भी बिस्तर पर ही जाता है और उस की कोई सेवा करने वाला नहीं है, वह अगर एक एप्लीकेशन देता है, तो उस के बारे में विचार किया जाए। मैं आप को बताऊं कि एक स्वतन्त्रता सेनानी ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी, जिस में उस ने लिखा था कि मैं सारा काम समाप्त कर चुका हूँ और गौरव के साथ इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ। उस ने यह भी कहा था कि अगर मेरी आँखें काम में आ सकती हैं, तो उन को ले लिया जाए, शरीर के अंग काम में आ सकें तो उन को ले लिया जाए लेकिन उस की आँखों में पायजन देना पड़ा और उस की आँखें काम में नहीं आ सकीं।

तो मेरे अबल का जो मकसद है, वह यही है कि ऐसे लोग अगर कोई एप्लीकेशन दें, तो उस पर विचार करना चाहिए। इस में एमैंडमेंट भी हो सकता था। डाक्टरों का एक बोर्ड इकट्ठा हो कर यह कहे कि ऐसा किया जा सकता है, तो करना चाहिए।

आप ने काफी तरक्की कर ली है, यह बहुत अच्छी बात है। अगर हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य मंत्री यह कहता है कि हम ने बहुत तरक्की कर ली है, तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि यह इन्क्योरेबिल डिजीज है, और इस का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। सवाल यह है कि एक डाक्टर यह जानता है कि यह आदमी तड़प रहा है, सिसक रहा है और वह कहता है कि भगवान मुझे उठा ले लेकिन आर्टीफिशियल मैथड्स जो काम में लाए जाते हैं उसे जिन्दा रखने के लिए, वह नहीं चाहता कि उन को इस्तेमाल करके उस को जिन्दा रखा जाए। अगर वह दवाएं छोड़ता है, तो गुनाहगार बनता है। इसलिए इस मसले पर आप को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। कैथोलिक्स जो धर्म के मानने वाले हैं, उन्होंने भी इस बात को मान लिया है। मैं आप को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसको पढ़ कर सुनाता हूँ :

Statement of principles issued by Roman Catholic Bishops Conference of England and Wales early in November, 1981

“When an individual is clearly dying or suffering from a fatal ailment, there is usually no moral obligation to undertake special treatment such as major or dangerous surgery which will not appreciably improve the situation or which will only briefly interrupt the onset of death.”

उन्होंने एक जगह नहीं बल्कि बहुत सी जगह यह कहा है। मैंने कम से कम 15 उदाहरण बताए थे और सारे कन्ट्रीज के बताए थे। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे आदमी को मार दो लेकिन वह खुद कहता है कि भगवान के नाम पर मुझे उठा लो क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। आप को पता नहीं होगा कि 10 लाख डालर खर्च कर दिए

[श्री मूलचन्द डागा]

एक आदमी ने अपनी लड़की के लिए और आखिर में उस का इलाज नहीं हो सका। उसने सिविल कोर्ट में जा कर कहा लेकिन उस ने कहा कि डाक्टरों को आर्टीफिशियल मैथड्स से इस को अभी जिन्दा रखना पड़ेगा। वह तड़फ रही थी और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वह मैंने आप को पहले ही बता दिया। मैडीकल इन्स्टीट्यूट के डाक्टरों ने हिन्दुस्तान में बहुत तरक्की कर ली है और मैं चाहता हूँ कि यह बिल ऐसे ही खत्म हो जाए लेकिन लोगों को इतनी तकलीफ न हो। मेरा आईडिया यह है।

MR. DEPUTY-SPEAKER :  
Please conclude. You atleast have mercy on Shri Vajpayee.

SHRI MOOL CHAND DAGA :  
We have already agreed that he too will move his Bill.

सवाल यह था, भावना यह थी कि अगर इस देश के अंदर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि क्यूरेबल है, मैंने यह कब कहा कि मार दो? मैंने कहा कि डाक्टर्स अगर इस नतीजे पर पहुँचें और सोचें और मैंने तो यहां तक कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट जज सारी परिस्थितियों को देखे कि इस आदमी ने मरने की इच्छा क्यों जाहिर की है।

तो मैंने यह नहीं कहा, मेरे बिल की भावना यह नहीं थी। इंग्लैंड में 1961 में कानून बन गया था और स्काटलैण्ड में अवेटमेंट को लीगलाइज कर दिया गया था। मैं यह नहीं कहता कि आप उन देशों का अनुकरण कीजिए, मैं तो यह कहता हूँ कि कुछ ऐसे आदमी हैं, जिनका इलाज नहीं हो रहा है और घर में अकेले पड़े हुए हैं और इन्क्यूरेबल हैं तो उनके बारे में सोचना चाहिए।

हिन्दुस्तान की संस्कृति किसी एक आदमी की नहीं है। संस्कृति के बारे में मन्त्री जी ने कहा है। हिन्दुस्तान के हर आदमी को हिन्दुस्तान की संस्कृति पर गर्व है, वह बेवताओं की धरती है। मैंने कब संस्कृति की बात की, मैं तो इस संस्कृति का स्वागत करता हूँ।

मैंने तो यह कहा था कि अगर जज इस नतीजे पर पहुँचे, मंत्री जी बिना मतलब दूसरी बातें करने लगे। आप बयान देते समय मेहरबानी करके सोचिए। मैंने कहा कि जो आदमी इच्छा जाहिर करता है, वह लाश की तरह पड़ा हुआ है, उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, सिर्फ उसका दिमाग काम कर रहा है, उसके बारे में सोचिए, मैंने यह नहीं कहा कि उसको मार दो। आपने किस तरह से इस बिल को पढ़ा है। मेरी भावना यह है कि इस बारे में हमको जनमत जानना चाहिए। इस तरह की आज कई सोसायटियां बन रही हैं, जगह-जगह विचार हो रहा है, इसलिए मेहरबानी करके आप जनमत जानिए और कोई तरीका निकालिए। मैं नहीं कहता कि आप इसको पारित कर दीजिए। मेरा परपज यही था और मेरा पहला सेंटेंस भी यही था कि जनमत जानिए और विचार कीजिए।

मैंने पहले भी आपको लैटर्स पढ़कर सुनाए हैं और इसके बाद और कई लोगों के लैटर्स भी आए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस बारे में विचार होना आवश्यक है।

आप कहते हैं कि सुसाइड अफेंस है, लेकिन करने के बाद क्या होता है? सब खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप विचार करिए और आपने संस्कृति की दुहाई दे दी। मेरे बिल की जो भावना थी, जो मंशा थी, उसको स्वास्थ्य मन्त्री जी

समझते तो मैं कहता कि जनमत जानने के लिए इसको प्रचारित किया जाए। मेरा इस में कुछ नहीं था, मैं इसको पारित करना नहीं चाहता था। मैंने तो आपको बताया कि वकीलों और विचारकों ने इसके बारे में क्या राय दी है। अगर आप नहीं चाहते तो मैंने कब कहा कि इस बिल को पारित किया जाय। मैं तो चाहता था कि इस बिल की स्पिरिट को आपको समझना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Rathod, are you pressing your amendment ?

SHRI UTTAM RATHOD : No, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Has he the leave of the House to withdraw his Amendment ?

HON. MEMBERS : Yes.

*Amendment No. 2 was, by leave, withdrawn.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Zainul Basher ; he is absent.

I now put the Amendment of Shri Zainul Basher to the vote of the House.

*Amendment No. 3 was put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Daga, are you withdrawing the Bill ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : Yes, Sir. I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for mercy killing of the persons who have become completely invalid and bedridden of suffering from an incurable disease.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That leave be granted to withdraw the Bill to provide for mercy killing of the persons who have become completely invalid and bedridden or suffering from an incurable disease.”

*The motion was adopted.*

SHRI MOOL DAGA : I withdraw the Bill.

17.58 hrs.

### ONE-FAMILY ONE-JOB NORM BILL\*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Lakkappa to introduce his Bill. I allow him as a special case.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the adoption of the norm of one-family one-job in public services.”

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for the adoption of the norm of one-family one-job in public services.

*The motion was adopted.*

SHRI K. LAKKAPPA : I introduce the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We now take up the next Bill for consideration and passing. Shri Rasheed Masood—absent.

Shri Atal Bihari Vajpayee.